ORIGINAL RESEARCH PAPER

Geography

KEY WORDS: आजीविका – जीवन के लिए प्राप्त आय, आधारभूत सुविधा–न्यूनतम आवश्यकताएं, मौसमी बेराजगारी– किसी मौसम में खेती न होने पर रोजगार की कमी, मनरेगा – महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005, संपोषणीय– स्थायी व धारणीय विकास, ।

सुनियोजित विकास में मनरेगा की भूमिका

Dr. Girdhari Lal Sharma

Assistant Professor (VSY) Department of Geography PDUSU Sikar, Raj.

ABSTRACT

भारत जैसे विकासशील देश में अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण परिवेश में निवास करते हुए खेती से प्राप्त आजीविका पर निर्भर करती है। छोटी ढाणियों व बिखरे हुए अधिवासों में निवास करने से इनके लिए आधारभूत सुविधाओं का अभाव रहता है। खेती में मौसमी व छिपी हुई बेरोजगारी होने से आय के साधन बहुत कम पाए जाते है। निर्धनता, गरीबी, पिछड़ा हुआ जीवनस्तर होने से इनकी स्थिति दयनीय पाई जाती है। ऐसे मानव के लिए प्रतिकूल प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं बिजली, पानी, सड़कों, आवास, शिक्षा, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने में मनरेगा कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इससे न केवल बेरोजगारी की समस्या दूर हुई है वरन् प्रतिव्यक्ति आय में बढोतरी होने से जीवन की गुणवत्ता भी बढ रही हैं पर्यावरणीय संसाधनों जैसे वनविकास, जलसंग्रहण संरचनाओं का निर्माण, अपरदन व सेम तथा बंजर भूमि को संरक्षण`देकर खेती के योग्य बनाने, आदि के रूप में पर्यावरण संरक्षण से संपोषणीय विकास की संकल्पना साकार होती दिखाई दे रही है। मनरेगा आधारभूत विकास का ही स्वरूप है जिसमें सर्वांगीण विकास की संकल्पना को साकार किया जा सकता हे।

प्रस्तावना

भारत विश्व में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है यहां हर कोने में दिहाड़ी, गरीब व अकुशल श्रमिकों की संख्या अधिक रहती है। भारत में 7 सितम्बर 2005 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम(डळछत्ळ ।) पारित किया गया। यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो विश्व में सबसे बड़ी व एकमात्र योजना है, जो देश के नागरिको को रोजगार की गारंटी देती है। रोजगार की अनुपस्थिति में लाभार्थी बेरोजगारी भत्ते के लिए दावा कर सकते हैं।

इससे देश के ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार व आजीविका की सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें श्रम लागत व माल की लागत का 75 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार व शेष 25 प्रतिशत राज्यसरकार के द्वारा वहन की जाती है। मनरेगा की शुरूआत आंध्रप्रदेश के वंटलापल्ली गांव से हुई। 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू किया गया जो 1 अप्रेल 2008 को जम्मुकश्मीर को छोडकर पूरे देश में लागु कर दिया गया।

इसका उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना है। इसके लिए ग्रामपंचायत में किसानों को रजिस्ट्रेशन करवाकर जॉब कार्ड बनवाना पड़ता है। इसके बाद में ग्राम सचिव के पास जॉब के लिए आवेदन करने के बाद में भी यदि 15 दिन में रोजगार नहीं मिल पाता है तो सरकार उसको बेरोजगारी भत्ता उसकी मजदूरी के अनुसार देय होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो करोड़ों ग्रामीण लोगों को रोजगार की गारण्टी देता है। इससे लोगों को रोजगार मिलने से उनकी आय में बढोतरी हुई जिससे उनके जीवनस्तर में आमूलचूल परिवर्तन आए हैं।

इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़े व निर्धन लोगों की आजीविका को सुनिश्चित करना, कमजोर लोगों के जीवनस्तर को उन्नत करना, ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के लिए आधार तैयार करना, भारत में पंचायतीराज को मजबूत बनाना, विकेन्द्रीत नियोजन प्रणाली को अपनाकर ग्रामीण क्षेत्र का टिकाऊ व संपोषणीय विकास के लिए आधार तैयार करना आदि है। इससे ग्रामीण व कमजोर महिला वर्ग को सामाजिक सुरक्षा मिलती है।

मनरेगा में अर्द्धकुशल व अकुशल श्रमिकों को ग्रामीण विकास योजनाओं में भागीदारी दी जाती है। इससे न केवल मजदूरी मिलने से किसानों के जीवन स्तर में बढोतरी होती है वरन् ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। इससे पंचायतीराज में शक्तियों का विकेन्द्रीकरण होता है इससे मजबूत लोकतंत्र का विकास होता है। मनरेगा में रोजगार के अलावा श्रमिक के स्वास्थ्य, बीमा, उसके बालकों की शिक्षा आदि के लिए भी अनुदान दिया जाता है। इससे परिवार के सर्वांगीण विकास की संकल्पना साकार होती दिखाई देती है।

मनरेगा में सामाजिक कार्यों के लिए सोशल ऑडिट को भी महत्त्वपूर्ण माना जाता है इससे मनरेगा में होने वाले भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। इसमें होने वाले कार्यों का विवरण गांव के मुख्य भागों में पेंटिंग किये जाते हैं। इससे कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण होने से मनरेगा में किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं पाई जाती है। भारत विश्व का एक मात्र देश है जो अपने 127 करोड़ लोगों को 100 दिन के रोजगार की गारण्टी देता है।

मनरेगा के कार्य

1. जल संरक्षण एवं जल संवर्धन।
2. ग्रामीण क्षेत्र में बारिश के पानी का संग्रहण करके वैज्ञानिक उपयोग करना।
3. सूखे से बचाव के लिए वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण।
4. सिंचाई के लिए सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं सहित नहरों का निर्माण।
5 ग्रामीण क्षेत्र में पक्की नालियां बनाकर पानी के सुगम व वैज्ञानिक उपयोग को बढाना।
6 ग्रामीण क्षेत्र में वाणिज्यक फल उत्पादन व भूमि अपरदन को रोकने के उपाय अपनाना।
7. अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों या भूमि सुधारों के लाभांवितो, इंदिरा आवास योजना से लाभांवितो व सामान्य वर्ग बी.पी.एल., लघु एवं सीमान्त कृाकों की जमीन तक सिंचाई की सुविधायें पहुंचाना।
8. परम्परागत जल स्रोत संरचानाओं का पुनरूद्धार (तालाबों से मिट्टी निकालने सहित)।
9. बागवानी व भूमि विकास का कार्य।
10. बाढ व जलभराव से सुरक्षा के लिए पानी की निकासी के मार्ग बनाना।
11. ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचने के सुगम मार्गों का निर्माण करके अभिगम्यता में बढोतरी करना।
12. ग्राम पंचायतों व जनपदों में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण करना।
13. सरकार की सलाह से केन्द्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया कोई कार्य करना।
14. ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के पानी के बहाव क्षेत्रों में एनीकट, अवरोधक बांध बनाना।

हिर्वे के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट एमजीएनआरईजीए एंड वीमेन्स एम्पॉवरमेंट के अनुसार महिलाओं के सशक्तिकरण को दैनिक मजदूरी रोजगार समान भुगतान, ग्राम सभा और सामाजिक अंकेक्षणों में भागीदारी और सामाजिक अंकेक्षणों में भागीदारी व सामाजिक सहयोग की गतिशीलता में वृद्धि की गई है। ग्रामीण भागों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से लोगों के पोषणस्तर में वृद्धि हो गई है इससे जीवन की गुणवत्ता बढने से क्षेत्र में मानव विकास में बढोतरी हुई है।

मनरेगा में आधारभूत संरचनाओं का विकास

रायसिंहनगर में मनरेगा कार्यक्रम में सांवतसर गांव में पीएस नहर का पुनर्निर्माण मरम्मत, कच्ची पक्की नालियों का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना में घरों का निर्माण आदि के कार्य किये गए हैं। समेजा गांव में कैटल शैड का निर्माण, पीटीडी नहर से सिल्ट साफ करना, कच्चा या पक्का खाला व मोगा निर्माण, आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए न्युट्री गॉर्डन निर्माण किया गया है।

सतजण्डा गांव में पक्के गांव समेजा नहर रोड़ के पास सौन्दर्यकरण, मोगो का निर्माण, पक्के खालो का निर्माण, नहर व सड़कों के पास पेड़ लगाकर उनकी सुरक्षा के लिए जालियां आदि का निर्माण करवाया गया है। संगराना गांव में इंटरलोकिंग सड़क पक्की नाली सहित तथा खालों का निर्माण करवाये गए है। आरबी 23 में मॉडल तालाबों का निर्माण, भूमि विकास कार्य, नहरों का निर्माण कार्य करवाये गये है।

लिखमेवाला गांव में पीएस गांव में नहर का सौन्दर्यकरण तथा नहर में सिल्ट को हटाना, जंगल की सफाई नहर का पटड़ा निर्माण आदि के कार्य करवाए गए है। लुहारा गांव में शमशान भूमि की चारदिवारी करके पेड़ लगाना, रेलवे लाईन के पास पटड़ा का निर्माण करवाया गया है। मालसर गांव में सरदारपुरा नहर में पटड़ा निर्माण, रेलवे मार्ग के सहारे पटड़ा निर्माण जंगल की कटाई तथा सिल्ट सफाई के कार्य किये गए हैं। श्यामगढ, टीके 10,11, पीएस 16,22, उडसर, करडवाला, डाबला, धान्धेवाला, नानूवाला, कीकरवाली, ख्यालीवाली, मुकलावा, भोमसर, मालसर, मोहकमवाला, लुहारा आदि गांवो में इसी प्रकार के कार्य मनरेगा में करवाए गए हैं।

इस प्रकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम के तहत ग्रामीण भागों मे आधारभूत अवसंरचनाओं का निर्माण करके क्षेत्र के विकास को गति देने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन के रास्ते चरैड़े करके पक्के खुर्रे बनाए जा रहे हैं। सड़कों के पास मिटटी उठाने से बने गडडे में पानी भरने से भूजल की पूनःआपूर्ति हो जाती है।

इससे भूजलस्तर में गिरावट नहीं आती है। साथ ही इनमें पौधे लगाने से वन क्षेत्र में भी बढोतरी हो रही है। पानी निकास की सुव्यवस्था होने से जलभराव की समस्या को दूर किया जा रहा है इसे से स्वच्छ भारत व सुदृढ भारत की संकल्पना का विकास हो रहा है।

मनरेगा में ग्रामीण विकास का प्रतिरूप

मनरेगा में अनेक प्रकार के आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। इससे ग्रामीण कुशल व अर्द्धकुशल लोगों को आसानी से रोजगार की उपलब्धता होने से प्रतिव्यक्ति आय में बढोतरी होती है। इससे उनका जीवनस्तर उन्नत हुआ है। इससे खेती में मजदूरों की प्रति व्यक्ति आय में बढोतरी हो गई है।मनरेगा से बेरोजगारी में कमी आई है। साथ ही जलग्रहण संरचनाओं के निर्माण से जलसंरक्षण को बल मिला है।

सड़कों व खुर्रों को बनाने से इनके पास मिटटी उठाने से गडडे बन जाते हैं इससे बारिश का पानी इनमें एकत्रित होने से भूजल में बढोतरी होती हैं। नहरों का पुनर्निर्माण व मरम्मत होने से प्रदेश के लिए संसाधन निर्माण को बढावा मिला है। इस निर्माण से नहरें लम्बे समय तक उपयोग योग्य बन जाती है इनमें जमा हुई गाद को हटाने स`जल परिवहन क्षमता बढ जाती है। इससे इनका उपयोग दीर्घकाल तक अबाध गति से हो सकता है।

नियोजित विकास के प्रमुख घटक

निर्देशन

किसी प्रदेश का नियोजन उसके विकास का आधार होता है इससे कार्य की सफलता के लिए क्रियाओं को किस प्रकार से किया जाए ? इसके लिए नियोजन निर्देश की व्यवस्था करता है। लक्ष्यों व उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए नियोजन क्षेत्र के लोगों के लिए मार्गदर्शक बन जाता है कि कार्यकर्ताओ का स्पष्ट रूप से समझाया जाता है। जिससे सभी कार्यकर्ताओं को कब क्या करना चाहिए इसका ज्ञान होने संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में आसानी होगी। समय पर उचित दिशा निर्देश मिलने से कार्य की सफलता सुनिश्चित हो जाती है।

अधिकारियों के द्वारा अधिनस्थों के दिये गए आदेशों में एकता के सिद्धान्त को आवश्यक माना जाता है जिससे भ्रम की स्थिति न बने तथा दिये गए निर्देशों की पालना की जा सके। नियोजन में प्रत्येक समय व स्थान पर क्या निर्देश दिये गए हैं ? इनकी जानकारी होती है इससे आगे दिये जाने वाले निर्देशों की कल्पना करना सरल हो जाता है। इससे नियोजन से निर्देशों के अध्ययन व उनके प्रभाव तथा उनके कार्यान्वयन का ज्ञान होने से समय पर उनमें बदलाव किये जा सकते हैं। इससें कार्य की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है।

अपव्ययी

नियोजन विविध विभागों, व्यक्तियों या संगठनों के मध्य क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करता है। ये विभाग एक दूसरे से अपने विचारों को साझा करते है। इससे किसी भी प्रकार के मतभेद या आशंकाओं को दूर किया जा सकता है। इससे विचारों व कार्यों के स्पष्टीकरण से व्यर्थ व अनावश्यक क्रियाओं का ज्ञान हो जाता है।

ऐसी तकनीकी या मशीनों जिनका विकास में कोई योगदान नहीं होता अतः इन्हे हटा दिए जाने से कार्य का भार भी कम हो जाता है। इससे कार्य की लागत कम हो जाती है। इसका उपयोग अन्य उपयोगी कार्यों में किए जाने से अधिकतम विकास को गति दी जा सकती हे। इनमें होने वाली गलतीयों में सुधार किया जा सकता है।

नियोजन से क्षेत्र के आसपास होने वाले कार्यों का भी ज्ञान होता है। यह न केवल राष्ट्रीय घटनाओं का अध्ययन करता है वरन् अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर भी नजर रखता है। इससे भावी घटनाओं का अनुमान लगने से भविष्य में होने वाले खर्चो का अनुमान लगाकर उन पर होने वाले व्यय को बचाया जा सकता है।

नियोजन से खेती में खर्च होने वाले बीज, खाद, मशीनों, श्रमिक आदि का अध्ययन होता है इनका पूर्वानुमान लगाकर खेती की लागतों को घटाया जा सकता है जैसे यदि फसल कटाई के समय में श्रम अधिक महंगा व खेती की उपजों का बाजार मूल्य कम रहता है तो खेती में घाटा होगा। लेकिन यदि दनका भण्डारण करके कुछ समय बाद साफ करके बेचा जाए तो श्रमिक भी सस्ते मिलेंगे ओर बाजार मूल्य भी सामान्य से अधिक प्राप्त होगा। इसी प्रकार से मानसून को ध्यान में रखकर खेती की जाए तो खेत में सिंचाई पर होने वाले अपव्यय को बचाया जा सकता है।

नवाचारों को बढाना

नियोजन से विभागों में सामंजस्य होने से नवाचारों व नवीन तकनीकी का ज्ञान होता है। पुरानी तकनीकी के प्रयोग से होने वाली हानि का ज्ञान हो जाता है। इससे नवाचार व नई तकनीकी अपनाने से कार्य में आसानी हो जाती है। कार्य की लागत कम आने से लाभ में बढोतरी होती है किसी प्रदेश के प्रबन्धन से नये विचार योजना का रूप ले लेते हैं तथा पुराने विचारों का मूल्यांकन होने से कार्य की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है।

नियोजन से दूसरे प्रदेशों में काम में ली जाने वाली तकनीकी व नई मशीनों का ज्ञान होता है। इसका उपयोग करके न केवल लागतों को कम किया जा सकता है वरन कार्य भी कम समय में गुणवत्तावूर्वक किया जा सकता है। जैसे ग्रामीण भागों में पुराने चुल्हों के उपयोग से ईधन लकड़ी भी अधिक जलती है और धुआं अधिक देने से पर्यावरण प्रदूषण भी अधिक होता है।

वर्तमान में लोहे की चद्दर से बने नई डिजाईन के चुल्हों का उपयोग भोजन बनाने में किया जाने लगा है इनसे भोजन के साथ ही पानी भी गर्म किया जाने लगा है। इसे पानी गर्म करने के लिए न केवल लकड़ी की बचत हुई वरन पर्यावरण को होने वाली हानि से भी बचाया जा सका है।

निर्णयन की क्षमता

नियोजन से भूत व भविष्य का ज्ञान हो जाता है इससे कार्य में होने वाली देरी अथवा अधिक लागत आने से लाभ में कमी के कारणों का ज्ञान होती हे। इससे व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता बढ जाती है। इसके अनुसार कार्य किये जाने से व्यक्ति जल्दी व सुनिश्चित निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। वैकल्पिक विचारों का समागम करना, प्रबन्धन की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता बन जाती है। इससे भावी सफलताओं का अनुमान लगाया जा सकता है तथा मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के सटीक निर्णय लिए जा सकते है।

नियोजन से कार्य में प्रयोग की जाने वाली तकनीक खर्चों का ज्ञान हो जाता है। इनसे भावी जीवन में होने वाली घटनाओं तथा खर्चो का ज्ञान भी हो जाता हैं इससे तकनीक के प्रयोग के लिए निर्णय लेना आसान हो जाता है।

खेती करते समय में फसलों के मूल्य में कमी या बढोतरी होती है यदि किसान अपने खेत पर शीत भण्डार स्थापित कर दे तो उससे लागत कुछ अधिक बढ जाएगी लेकिन इसका समाधान आस पास के किसानों द्वारा अपनी फसलों को रखने से प्राप्त होने वाले किराये से पूरी की जा सकती है तथा दूसरी ओर स्वयं की फसलों के सुरक्षित रहने से भावी जीवन में अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है।

अनिश्चतता का समाप्त करना

नियोजन प्रबंधन को भविष्य में देखने का अवसर प्रदान करता है। भावी क्रियाकलापों में होने वाले परिवर्तनों को देखकर भावी अनिश्चित घटनाओं व परिवर्तनों के व्यवहार का मार्ग दिखाती है। इन घटनाओं व परिवर्तनों को रोक नहीं सकते लेकिन प्रबन्धकीय परिवर्तन करके इनके प्रतिकूल प्रभाव को कम कर सकते है।

नियोजन में वर्तमान संसाधनों की मात्रा व गुणवत्ता का पूर्वानुमान लगाया जाता है। नियोजन से वर्तमान में चल रही तकनीकी व भाविष्य में विकसित होने वाली तकनीकी व विज्ञान की पद्धतियों का पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसके बीच होने वाली पर्यावरणीय परिघटनाओं का भी अनुमान होता है। इसके साथ भावी जीवन में आने वाले सामाजिक व सांस्कृतिक, आर्थिक परिवर्तनों के बारे में अध्ययन होता है। अतः नियोजन से भावी जीवन में घटित होन वाली अनिश्चितता की भावना दूर हो जाती है क्योंकि इन सभी घटनाओं व परिवर्तनों का बड़ेस्तर पर अध्ययन पहले ही कर लिया जाता है इसी कारण नियोजन से इन समस्याओं के स्थायी समाधान का भी पता चल जाता है।

व्यापकता

नियोजन सर्वव्यापी व लचीला होता है। यह कार्य के हरस्तर पर लागु किया जाता हे। बड़े स्तर पर लक्ष्यों को ध्यान में रखकर नियोजन को अपनाते है जबकि छोटेस्तर पर उद्देश्यों को ध्यान में रखकर नियोजन को अपनाया जाता हे। इसको समय के अनुसार कठोरता या लचीला बनाया जा सकता है। विविध स्तरों व विभागों में नियोजन होने से इसकी व्यापकता बढ जाती है। जब उच्चस्तरीय प्रबन्धन बड़े स्तर पर नियोजन करते हैं तो मध्यमस्तर पर उनके छोटे लक्ष्यों का नियोजन किया जाता है। निम्नस्तर पर सूक्ष्मस्तर पर नियोजन होने से कार्य की सफलता बढ जाती है।

नियोजन कार्य की सुनिश्चितता को बढा देता है। नियोजन में किसी कार्य को छोटे–छोटे लक्ष्यों में विभाजित करके विशाल उद्देश्यों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। भारत व पाक एक साथ स्वतंत्रता प्राप्त की लेकिन भारत ने एक सशक्त संविधान बनाकर बहुस्तरीय नियोजन को अपनाया इससे क्षेत्र के अनुसार नियोजन होने से देश का संतुलित विकास हुआ जबकि पाक में असंतुलन के कारण आज दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है।

रायसिंहनगर में भी मास्टर प्लान बनाकर विकास का प्रयास किया गया है। लेकिन भूमि का पैतृक बंटवारा होने से खेतों का आकार छोटा रह गया। किसानों की निर्धनता, परम्परागत खेती की प्रणालियों के कारण वांछित लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। किसानों में गरीबी से वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग न होने से खेती में पिछड़ापन मिलता है। इसी कारण समस्त प्रकार के संसाधन होते हुए भी यह प्रदेश विकसित देशों के समान प्रति हैक्टेयर उत्पादकता नहीं दे पाया है।

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि नियोजन निरन्तर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिससे वर्तमान में कार्य करते हुए भविष्य की योजनाएं निश्चित की जा सकती है। पूर्वानुमान लगाकर समय रहते प्रबन्धन में परिवर्तन करके अनावश्यक होने वाली हानियों से सुरक्षा हो सकती है। नियोजन में मानसिक अभ्यास से सटीक पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं। इससे संश्लेषण–विश्लेषण के द्वारा कार्य को सफल बनाया जा सकता किसी भी प्रदेश का संपोषणीय विकास किया जा सकता है।

शोध परिकल्पना

परिकल्पना का श्शाब्दिक अर्थ चारों ओर का चिंतन है। अर्थात शोध से पूर्व शोधकर्ता के समक्ष एक समस्या उत्पन्न होती है जिसका वह उपलब्ध ज्ञान के आधार पर परीक्षण करता है। समस्या का विश्लेषण व संश्लेषण करता है। उसको परिभाषित करता है। इसके बाद उसके बाद वास्तविक प्रमाणों के अधार पर श्शोधकर्ता उस समस्या के कारणों का परीक्षण करता है। परिकल्पना के बिना कोई किसी भी प्रकार का प्रयोग या अनुसंधान संभव नहीं हो सकता है।

लुण्डबर्ग ''परिकल्पना एक प्रयोग सम्बन्धी सामान्यीकरण है, जिसकी वैधता की जाँच होती है। अपने मूल स्वरूप में परिकल्पना एक अनुमान या कल्पना पर आधारित कोई विचार हो सकता है जिसकी वैधता की जाँच की ता सकें तथा एक सशक्त अनुसंधान के लिए आधार तैयार हो सके। उपरोक्त अध्ययन क्षेत्र में षोधकर्ता की निम्न शोध परिकल्पनायें रही हैं :–

1. *अध्ययन क्षेत्र समांग प्राकृतिक दशाओं वाला विलग प्रदेश है। जहां बहुत सी प्राकृतिक दशाओं में समानता पाई जाती है।*
2. *अध्ययन क्षेत्र कृषि प्रधान प्रदेश है जहां के ग्रामीण लोग अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से खेती पर निर्भर रहते आये हैं।*
3. *भौगोलिक क्षेत्र मानवीय व प्राकृतिक घटकों के अन्तर्सम्बन्धों का योग होता है। अध्ययन क्षेत्र मे इन घटकों के पारस्परिक सम्बन्ध परिलक्षित होते हैं।*
4. *नियोजन बहुपक्षीय अवधारणा है जो क्षेत्र के सर्वांगींण विकास को प्रतिबिम्बित करती है।*
5. *प्रदेश के लोग परम्परागत विधियों व प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते आए हैं।*
6. *प्रदेश नहरों द्वारा सिंचित है। जल जीवनस्तर व रोजगार के स्तर को उपर उठाने में अहम योगदान देता है।*
7. *ग्रामीण प्रदेश में रोजगार का अभाव रहता है। यहां मौसमी व छिपी हुई बेरोजगारी अधिक मिलती है।*

शून्य परिकल्पना :–'राजस्थान प्रदेश में बिना प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों के सामंजस्य के बिना संपोशणीय विकास की अवधारणा को प्राप्त नहीं कर सकता है।''

शोध अध्ययन की विधियाँ

प्रस्तुत शोध का परीक्षण करने के लिए शोधार्थी शोध क्षेत्र से आंकड़ों का संग्रह किया है। इसके लिए अपने पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया है। इसके लिए वह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यथार्थ का चयन करने के लिए हमेशा क्यों ? क्या और कैसे ? प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया गया है। शोध क्षेत्र में मात्रात्मक व गुणात्मक विधियों के द्वारा आँकड़ों का संग्रह किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में प्रश्नों, प्रश्नावली, व सर्वेक्षण के द्वारा निगमनात्मक पद्धति से षोध का परीक्षण किया गया है।

श्शोधार्थी के द्वारा शोध क्षेत्र का अवलोकन व निरीक्षण करके व्यक्तिगत आंकड़ों का

संग्रह किया गया है। क्षेत्र के लोगों का साक्षात्कार लेकर या क्षेत्र पर आधारित अवलोकन करके गुणात्मक विधियों से आंकड़े संग्रह करने के प्रयास किया गया है। इसके बाद शोध को एक निश्चित स्वरूप (क्मेपहद) देकर शोध को निम्न विधियों से व्यवस्थित क्रम में आंकड़ो का संग्रह किया गया है।

प्राथमिक आंकड़े

1. व्यक्तिगत प्रेक्षण
2. साक्षात्कार
3. प्रश्नावली
4. अनुसूची
5. कृत्रिम मृदा किट
6. वायुफोटोचित्र
7. उपग्रह मानचित्र का अवलोकन

द्वितीयक आंकड़े

1. संयुक्त राष्ट्रसंघ के विभागों के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट
2. भारतीय जनगणना विभाग द्वारा जनसंख्या व आर्थिक विकास रिपोर्टस
3. भारतीय योजना आयोग के द्वारा प्रकाशित रिपोर्टस
4. केन्द्र व राजस्थान राज्य सरकार के बजट का अवलोकन
5. देश व राज्य की आर्थिक नीतियों का अध्ययन
6. राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्रसरकार को भेजी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट
7. कृषि विभाग जयपुर की वार्षिक रिपोर्ट
8 राजस्थान सरकार जलविभाग व सिंचाई विभाग की वार्शिक रिपोर्ट
9. राजस्थान के विविध जिला गजेटियर का विशेष अध्ययन
10. नगरपालिका, कृषिमण्डी, पटवारी ग्रामसेवकों व श्रीमान् तहसीलदार के सहयोग से प्राप्त वास्तविक आंकड़े

उपरोक्त के अलावा रजिस्टर्ड बुक्स, समाचार पत्र–पत्रिकाओं, इंटरनेट आदि के आधार पर आंकड़ों का वृहदस्तर पर संग्रह किया गया है। इसके बाद में प्रतिचयन की विधियों से इन आँकड़ों को व्यवस्थित करके सारणीकरण किया गया है। केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप जैसे माध्य, माधिका, बहुलक, मानकविचलन, विस्तार, सहसम्बन्ध आदि सांख्यकीय विधियों के माध्यम से आँकड़ों का सामान्यीकरण करके विश्लेषण को प्राथमिकता दी गई है।

इसके बाद विविध प्रकार के मानचित्रों आरेख, मानारेख, मानचित्रों व सारणीयों के द्वारा निश्चित निष्कर्श प्राप्त किये गये हैं। इसके बाद सरल, स्पष्ट, सुग्राह्य, भाषा में शोध शीर्षक को स्पष्ट करते हुए विस्तृत शोधपत्र लिखा गया है। इसमें प्रदेश का यथार्थ व विश्वसनीय चित्रण, को प्रमुखता दी जाएगी। घटकों के कार्य–कारण सम्बन्धों पर बल दिया गयर है। इस प्रकार सुव्यवस्थित, सुनियोजित, क्रमबद्ध, वैज्ञानिक व वैध शोधपत्र लिखने के प्रयास किये गये हैं।

निष्कर्ष

मनरेगा विष्व में एक अनूठा कार्यक्रम है जिसमें विकास की आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाता है। ग्रामीण प्रदेषों में जहां जीवनयापन की सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। वहां गांव के कुषल–अर्द्धकुषल श्रमिकों की सक्रिय भागीदारी से न केवल सामाजिक सुविधाओं का विकास किया जाता है वरन इसमें नवीन संसाधनों का निर्माण, प्रतिव्यक्ति आय में बढोतरी होने से जीवन स्तर को उन्नत कर के मानव के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे संसाधनों का विकेन्द्रीकरण होने से देष में संतुलित विकास की संभावनाएं प्रबल हो जाती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. इकॉनामिक सर्वे रिपोर्ट 2020–21
2. मार्ा, डॉ. जी. एल. (2020) भूजल एवं कृषि विकास'.श्याम प्रकाशन मालवीय नगर जयपुर, पृष्ठ संख्या 86–96।
3. भूजल समीक्षा रिपॉर्ट जल विभाग सीकर 2021.
4. मुजाल्दा एम.एस. (2001) ''जलग्रहण एवं सिंचाई योजनाओं का सामाजिक जीवन पर प्रभाव, पीएच.डी. शोध देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर म. प्र.।
5 तिवारी आर सी सिंह बी एन (2015) कृशि भूगोल प्रवालिका पब्लिकेषन इलाहाबाद पृश्ठ संख्या 20–176।
6. जट डॉ. बी सी (2004) जल संसाधन नवीन संस्करण 2020, पृश्ठ सं.–27–125।
7. कौषिक एस डी एवं गौतम अलका (2003) संसाधन भूगोल रस्तोगी पब्लिकेषन मेरठ, पृश्ठ संख्या –430–521।